

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : अनिल कुमार II, RAS




अपील संख्या 53/2021

1 रामादेवी आयु करीब 73 साल पुत्री स्व. रामकुमार पत्नी स्व. प्रभातीलाल जाति नायक निवासी गत वार्ड नम्बर 21 हाल वार्ड नम्बर 12 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांटस

बनाम

- 1 रामसिंह आयु 68 साल पुत्र स्व. भागीरथ जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 2/1 श्रीमती सुशीला आयु 56 साल पत्नी स्व. महेन्द्र जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 2/2 मृतक सुन्दर पुत्र स्व. महेन्द्र जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं। नोट – दौराने अपील दिनांक 31.10.2022 को देहान्त हो गया।
- 2/2/1 श्रीमती मोनू आयु करीब 34 साल पत्नी स्व. सुन्दर जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 6 निजामपुरा ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 2/2/2 शेखर आयु 11 साल पुत्र स्व. सुन्दर
- 2/2/3 मु. जानकी आयु 13 साल पुत्री स्व. सुन्दर जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 6 निजामपुरा ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं नाबालिग जरिये वलिया कुदरती श्रीमानी मोनू आयु करीब 34 साल पत्नी स्व. सुन्दर जाति नायक निवासी वार्ड नम्बर 6 निजामपुरा ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 2/3 विजय आयु 30 साल पुत्र स्व. महेन्द्र जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 3 राजु आयु 53 साल पुत्र स्व. भागीरथ जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 4 श्रीमती बिल्लो पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी जिलेसिंह जाति नायक निवासी ग्राम व पोस्ट नान्दा तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।

  
अनिल कुमार II RAS  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (केम्प झुन्झुनूं)



- 5 श्रीमती कमला पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी महावीर सिंह जाति नायक निवासी ग्राम व पोस्ट नान्दा तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
- 6 शिशराम पुत्र मंगतुराम जाति नायक निवासी ओजटु तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 7 घड़सी पुत्र माला जाति खटीक निवासी चिड़ावा कालेज ग्राउण्ड के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 8 लालचन्द पुत्र माला जाति खटीक निवासी चिड़ावा कालेज ग्राउण्ड के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 9 लाला पुत्र मालाराम जाति खटीक निवासी चिड़ावा कालेज ग्राउण्ड के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 10 पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा जरिये शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 11 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोंडेन्ट्स

प्रथम अपील अधारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम  
प्रथम अपील खिलाफ निर्णय व डिक्री न्यायालय उपखण्ड  
अधिकारी चिड़ावा दिनांक 23.04.2021 दावा उनवानी रामदेवी  
बनाम रामसिंह आदि दावा घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा  
दावा संख्या 24/2016

अपील संख्या 88/2021

- 1 रामसिंह पुत्र स्व. भागीरथ जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 2 लालचन्द पुत्र मालाराम जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 05 चिड़ावा कालेज ग्राउण्ड के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

अपीलांट्स


  
अनिल कुमार II RAS  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)



## बनाम

- 1 रामादेवी आयु करीब 73 साल पुत्री स्व. रामकुमार पत्नी स्व. प्रभातीलाल जाति नायक निवासी गत वार्ड नम्बर 21 चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 2/1 श्रीमती सुशीला पत्नी स्व. महेन्द्र जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 2/2 विजय पुत्र स्व. महेन्द्र जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 2/3 मोनू पत्नी सुन्दर जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 2/4 जानवी पुत्री सुन्दर उम्र 13 साल
- 2/5 शेखर पुत्र सुन्दर उम्र 11 साल  
जाति नायक निवासीगण वार्ड नम्बर 6 निजामपुर ओजटू तहसील चिड़ावा नाबालिगण जरिये वली कुदरती माता श्रीमती मोनू पत्नी सुन्दर जाति नायक निवासी निजामपुरा ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 2 राजु पुत्र स्व. भागीरथ जाति नायक निवासी ग्राम ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं राज.।
- 3 बिल्लो पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी जिलेसिंह जाति नायक निवासी ग्राम व पोस्ट नान्दा तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
- 4 श्रीमती कमला पुत्री स्व. भागीरथ पत्नी महावीर सिंह जाति नायक निवासी ग्राम व पोस्ट नान्दा तहसील बाढड़ा जिला भिवानी हरियाणा।
- 5 शिशराम पुत्र मंगतुराम जाति नायक निवासी ओजटू तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 6 घड़सी पुत्र माला जाति खटीक निवासी वार्ड नम्बर 05 चिड़ावा कालेज ग्राउण्ड के पास चिड़ावा तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 7 शाखा प्रबन्धक पंजाब नेशनल बैंक शाखा चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।
- 8 राजस्थान सरकार भूमि अधिकारी जरिये तहसीलदार तहसील चिड़ावा जिला झुन्झुनूं।

रेस्पोंडेन्टस

  
 अनिल कुमार II RAS  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
 पदेन राजस्व अधिकारी  
 सीकर (कैम्प झुन्झुनूं)



अपील विरुद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 23.04.2021  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ व मुकदमा  
उनवानी रामा देवी बनाम रामसिंह वगै. दावा बाबत  
बदेखली स्थायी निषेधाज्ञा मु.नं. 24/2016

उपस्थिति :


1. श्री संदीप काजला, अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री कृष्ण कुमार शर्मा, अधिवक्ता अपीलांट
3. श्री सुशील कुमार वर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
4. श्री अमित कुमार शर्मा, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
5. श्री हरिप्रसाद सैनी, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

—निर्णय—

दिनांक:- 11/7/21

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरजगढ़ द्वारा मुकदमा नम्बर 24/2016 में पारित निर्णय दिनांक 23.04.2021 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। दोनों पत्रावलियों में पक्षकार व विवादित भूमि समान होने से इनका निस्तारण एक ही आदेश से किया जा रहा है। निर्णय की प्रति पृथक-पृथक रखी जावें।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादी रेस्पोडेन्ट द्वारा ग्राम ओजटू की भूमि खसरा नम्बर 160, 161, 168 के संदर्भ में घोषणा, बेदखली व स्थाई निषेधाज्ञा का वाद प्रस्तुत किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से वाद वाद डिक्री कर दिया। इससे व्यथित होकर वादिया द्वारा अपील संख्या 253/2021 एवं प्रतिवादीगण रामसिंह, लालचंद की ओर से अपील संख्या 88/2021 धारा 5 के आवेदन के साथ प्रस्तुत की गई है।

  
अनिल कुमार II RAS  
भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं  
पदेन राजस्व अपील अधिकारी  
सीकर (कैम्प झुन्झुन)




बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष ने प्रकरण सहमति से रिमांड करने का निवेदन किया।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। न्यायहित को दृष्टिगत रखते हुए अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत आवेदन धारा 5 स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को कंडोन किया जाता है।

जहां तक प्रकरण के गुणावगुण का प्रश्न है उभयपक्ष ने वरवक्त बहस सहमति व्यक्त कर प्रकरण विचारण न्यायालय को रिमांड करने का निवेदन किया है। उभयपक्ष के अधिवक्ता ने आदेशिका पर सहमति के हस्ताक्षर भी किये हैं।

उपरोक्त विवेचन एवं उभयपक्ष की सहमति के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय अपास्त किया जाता है एवं प्रकरण विचारण न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रति प्रेषित किया जाता है कि विधिक प्रक्रिया अनुसार जवाब दावा प्राप्त कर तनकी कायम कर साक्ष्य प्राप्त कर बाद सुनवाई प्रकरण में गुणावगुण पर पुनः विधि सम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्ष विचारण न्यायालय के समक्ष दिनांक 30.07.2025 को उपस्थिति दें।

निर्णय आज दिनांक 11/7/25 को सरे इजलास सुनाया गया।

  
 (अनिल कुमार II RAS) अधिकारी एवं  
 भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं अपील अधिकारी  
 पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,  
 सीकर